न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 165 / 2018

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार उदयपुरवाटी

बनाम

भोमाराम पुत्र परतुराम मीणा, निवासी कोट जाटावाली, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

——

प्रकरण अन्तर्गत धारा 89 (7)
राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

——

आदेश

दिनांक 02.11.2020

उक्त विषयक प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 89 (7) के तहत कार्यवाही हेतु इस न्यायालय में भेजकर निवेदन किया है कि ग्राम कोट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 278 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ मे से रकबा 0.0100 हैक्टेयर में से अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के 100 घन मीटर पर अर्थात 100 टन चेजा पत्थर का अवैध खनन किया गया है जिनके विरूद्व राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956 के तहत कार्यवाही फरमाई जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री मदनसिंह गिल ने अपना वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी को अपना जबाब / साक्ष्य सबूत पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये गये। आज वकील अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम कोट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 278 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ मे से रकबा 0.0100 हैक्टेयर में से अप्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति के 100 घन मीटर पर अर्थात 100 टन चेजा पत्थर का अवैध खनन किया गया है । इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956 की धारा 89 (7) के तहत 50 रूपये प्रति टन के हिसाब से पैनेल्टी आरोपित करने का प्रावधान है। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से उक्त कृत्य किया गया है जिन पर पैनेल्टी आरोपित की जानी उचित है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (7) स्वीकार फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम कोट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 278 कुल रकबा 0.75 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ में से रकबा 0.0100 हैक्टर में से बिना स्वीकृति के 100 घन मीटर पर अर्थात 100

जिला कलक्टर झुंझुनूं

टन चेजा पत्थर का अवैध खनन बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के किया गया है जिससे राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई है। अप्रार्थी पर उक्त कृत्य करने के फलस्वरूप राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956 की धारा 89 (7) के तहत पैनेल्टी आरोपित की जानी उचित प्रतीत होती है।

अतः अप्रार्थी भोमाराम पुत्र परतुराम मीणा, निवासी कोट जाटावाली, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू पर अवैध रूप से ग्राम कोट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 278 कुल रकबा 0.75 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ में से रकबा 0.0100 हैक्टर में से 100 घन मीटर पर अर्थात 100 टन चेजा पत्थर का अवैध खनन करने के फलस्वरूप राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, 1956 की धारा 89 (7) के तहत 5000/– (पांच हजार रूपया) पैनेल्टी आरोपित की जाती है। तहसीलदार, उदयपुरवाटी पैनेल्टी राशि को नियमानुसार वसूल कर राज कोष में जमा करवावें। मिसल अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान) 02/11/20
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं